an>

Title: Need to review new tariff rates for TV cable service.

श्रीमती रक्षाताई खाडसे (रावेर): देश में कुल मिलाकर 2 से 2.5 करोड़ केबल ऑपरेटर केवल के माध्यम से टी.वी. चैनल का प्रसारण का काम कर रहे हैं । ट्राई ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन द्वारा प्रसारण और केबल टी.वी. के लिए नये टैरिफ रेट्स रूल्स तथा नियम जारी किये हैं । जो ग्राहक पुराने टैरिफ रेट्स से 200 से 300 रूपये के करीब-करीब सभी चैनल का आनंद ले रहे थे, उसी ग्राहक को वह चैनल पैकेज के लिए आज के नए टैरिफ रेट्स तथा नियम के हिसाब से 1000 रूपये खर्च करने पड़ सकते हैं । अभी तक केबल ऑपरेटर्स को ग्राहक से बड़ी मुश्किल से 200 से 300 रूपये राशि भुगतान जमा करने के लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी, ग्रामीण क्षेत्र में तो केबल ऑपरेटर ज्यादा से ज्यादा 150 रूपये में सारे चैनल के लिए चार्ज कर रहे हैं । नये टैरिफ प्लान के हिसाब से शहरी लोगों को फ्री टू एयर चैनल के लिए 130 रूपये तथा अपनी पसंद के हर चैनल के लिए यह रेट 1000 रूपये तक हो सकता है और ग्रामीण तथा गांव से जुड़े लोगों को कम से कम 400 रूपये का भुगतान करना होगा, इस नए निर्धारित किये हुए टैरिफ रेट से लोगों को अपनी पसंद के चैनल देखने के लिए ज्यादा राशि का भुगतान करना पड़ेगा तथा बहुत से छोटे एवं मध्यम केबल ऑपरेटर को अपना प्रसारण बंद करना पड़ सकता है । जैसे ट्राई बता रही है कि यह निर्णय ग्राहक के हित में लिया गया है जब कि ग्राहक को अगर ज्यादा भुगतान करना होगा तो ग्राहक का हित कैसा? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि सर्व सामान्य जनता के लिए सोचते हुए ट्राई से हाल ही में निर्धारित टैरिफ रेट तथा नियमावली नोटिफिकेशन का एक बार पुनर्निरीक्षण करें ताकि हर गरीब से गरीब भारतीय नागरिक इस नए तकनीकी तथा प्रसारण के दर्जेदार मनोरंजन माध्यम का लाभ उठा सके, पुराने टैरिफ के कुछ अच्छे प्रावधान जैसे डिजिटल अड्रेसेबल केबल

टी.वी. सिस्ट (डी.ए.एस.) जिसमें सरकार ने 4 चरण में रखा था बड़ा शहर, मध्यम शहर, छोटा शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग टैरिफ रेट्स जारी किए थे, इसी तरह कोई पद्धति जिसमें शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग टैरिफ रेट का प्रावधान हो ।

मैं यह भी निवेदन करती हूँ कि नए टैरिफ रेट में कुछ कंसोलिडेटेड बेसिक टैरिफ पैक की सुविधा हो जिससे ग्राहक अपना उचित पैक का चयन कर सकें ।